"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 जून 2022—ज्येष्ठ 13, शक 1944

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 अप्रैल 2022

क्रमांक एफ 4-2/2022/1-7.—कु. राधिका सैनी, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय एफ.टी.एस.सी. (पोक्सो) रायपुर की सेवाएं विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 4282/1181/XXI-B/2022, दिनांक 22 अप्रैल 2022, द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन छत्तीसगढ़ लोक आयोग में प्रतिनियुक्ति पर उप सचिव के पद पर पदस्थ करने हेतु सौंपी गई है.

अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा कु. राधिका सैनी, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय एफ.टी.एस.सी. (पोक्सो) रायपुर को छत्तीसगढ़ लोक आयोग में उप सचिव के पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13 अप्रैल 2022

क्रमांक-बी-1-1/2021/एक/4.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री यशवंत कुमार नाग, अधीक्षक, जिला कार्यालय, उ.ब. कांकेर को राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में डिप्टी कलेक्टर के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 में संयुक्त विचार क्षेत्र सूची में इनके कनिष्ठ श्री शंकर लाल सिन्हा, तहसीलदार द्वारा पदोन्नति उपरांत डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 19-07-2021 से पदोन्नत करते हुए अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक डिप्टी कलेक्टर, बीजापुर के पद पर पदस्थ करता है. कार्य नहीं वेतन नहीं के सिद्धांत के आधार पर पदोन्नत अधिकारी को वेतन अवशेष की पात्रता नहीं होगी. काल्पनिक आधार पर वेतन निर्धारित किया जायेगा. वास्तविक लाभ पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा.

2. उपरोक्त पदोन्नति दो वर्ष की स्थानापन्न अवधि के लिए होगी तथा पदोन्नत अधिकारी की सेवाएं छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा (वर्गीकरण, भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1975 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होगी.

3. उक्त आदेश माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिका WP (PIL) No. 91/2019, S. Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other's में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्लेमेन्टीना लकड़ा, अवर सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 25 अप्रैल 2022

क्रमांक ई 1-03/2022/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. कमलप्रीत सिंह, भा.प्र.से. (2002), सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार, सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, प्रभारी कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए प्रभारी कृषि उत्पादन आयुक्त, सचिव, कृषि (उद्यानिकी, मत्स्यपालन, दुग्धपालन, गोठान) विभाग एवं सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 अप्रैल 2022

क्रमांक ई 7-01/2022/एक-2(पार्ट).—श्रीमती जयश्री जैन, भा.प्र.से. (2016), अपर कलेक्टर, बिलासपुर दिनांक 25-04-2022 से 03-06-2022 तक कुल 40 दिवस तक शिशु देखभाल अवकाश पर है.

2. अतएव श्रीमती जयश्री जैन के उक्त अवकाश अवधि में श्री हरीष एस. भा.प्र.से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर द्वारा अपने वर्तमान कार्यों के साथ-साथ अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर का कार्य संपादित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्वेष घृतलहरे, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 मई 2022

क्रमांक एफ 20-32/2022/11/(6).—औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत परिशिष्ट-7(द) में अति पिछड़े क्षेत्र के अंतर्गत वर्णित जिला उत्तर बस्तर कांकेर में मेसर्स अवनी आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित वनोपज, हर्बल तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापना के लिए सीएसआईडीसी द्वारा लैण्ड बैंक से ग्राम-नथियानवागांव, विकासखंड-कांकेर, में उपलब्ध भूमि रकबा 3.04 हेक्टेयर को भाड़ा क्रय योजना के अंतर्गत "छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2015" के अंतर्गत कंडिका क्रमांक 3.11 में उपकंडिका 3.11.2 (ब) के अंतर्गत वर्णित बिना ब्याज की राशि के निवेशक को आबंटन किये जाने के प्रस्ताव को विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के रूप में अनुमति प्रदान की जाती है. कंडिका की अन्य सभी शर्तें यथावत पालनीय होंगी.

2. यथा आवश्यकता उक्त पैकेज के अंतर्गत पालनीय अन्य विस्तृत क्रियान्वयन दिशा-निर्देश एवं शर्तें छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, प्रमुख सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 मई 2022

क्रमांक एफ 1-16/2004/11/6 (पार्ट).—भारतीय भागीदारी अधिनियम-1932 (1932 का नंबर-9) की धारा-57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम-(2) में विनिर्दिष्ट सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए फार्मों के रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त करती है तथा वे उक्त सारणी के कॉलम-3 में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में अपनी-अपनी शक्तियों का प्रयोग तथा अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे :—

स.क्र. (1)	अधिकारी का नाम/पद (2)	अधिकारिता (3)	राजस्व संभाग (4)
01.	श्री अजय चौबे, सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं, बिलासपुर संभाग.	सरगुजा संभाग अंबिकापुर	सरगुजा संभाग अंबिकापुर
02.	श्री प्रमोद कुजूर, सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं, दुर्ग संभाग, दुर्ग.	दुर्ग संभाग दुर्ग	दुर्ग संभाग दुर्ग
03.	श्री सतीश कुमार शर्मा, सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं, बस्तर संभाग, जगदलपुर.	बस्तर संभाग, जगदलपुर	बस्तर संभाग, जगदलपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलेश बंसोड़, उप-सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 4 मई 2022

क्रमांक 391/एफ 1-8/2019/13/1.—छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम की कंडिका-77 सहपठित कंडिका-78 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्रीमती उज्जवला बघेल, पति श्री हरीश कुमार बघेल, संचालक एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष अथवा आगामी आदेश पर्यन्त, जो भी पहले हो, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के संचालक एवं प्रबंध संचालक के पद पर पदस्थ किया जाता है. श्रीमती उज्जवला बघेल के शेष प्रभार यथावत रहेंगे.

2. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम की कंडिका-77 (iv) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री संजय दत्रातेय तेलंग, संचालक एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को, श्रीमती उज्जवला बघेल के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, उक्त कंपनी के संचालक एवं प्रबंध संचालक के पद से कार्यमुक्त किया जाता है.

3. यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित आनंद, सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 2 मार्च 2022

क्रमांक एफ 1-1/2020/13/1.—राज्य शासन, एतद्द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 15-02-2022 में की गई अनुशंसा के आधार पर, इस विभाग के अधीन कार्यरत् निम्नांकित सहायक अभियंता (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कार्यपालन अभियंता (वि.सु.) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक के पद पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 (वेतन बैंड रुपये 15600-39100/- + ग्रेड वेतन रुपये 6600/-) में पदोन्नत किया जाता है तथा अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, उन्हें स्तम्भ क्रमांक-(4) में दर्शित स्थान पर पदस्थ किया जाता है :—

क्र. (1)	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री आर. के. त्रिवेदी	कार्यालय—कार्यपालन अभियंता (वि.सु.) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक संभाग, राजनांदगांव.	कार्यालय— कार्यपालन अभियंता (वि.सु.) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक संभाग, जगदलपुर.

2. उक्त आदेश माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिका WP (PIL) No. 91/2019, S. Santosh Kumar Vs State of Chhattisgarh & others, एवं WP (S) No. 9778/2019, Vishnu Prashanna Tiwari Vs State of Chhattisgarh & others में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा.

3. पदोन्नत अधिकारियों की पदोन्नति से वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी, पदोन्नति के परिप्रेक्ष्य में वरिष्ठता का दावा मान्य नहीं होगा.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 2 मार्च 2022

क्रमांक एफ 1-3/2020/13/1.—राज्य शासन, एतद्द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 18-01-2022 में की गई अनुशंसा के आधार पर, इस विभाग के अधीन कार्यरत् निम्नांकित मुख्य विद्युत लेखा परीक्षक को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मुख्य विद्युत शुल्क अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 (वेतन बैंड रुपये 15600-39100/- + ग्रेड वेतन रुपये 6600/-) में पदोन्नत किया जाता है तथा अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, उन्हें स्तम्भ क्रमांक-(4) में दर्शित स्थान पर पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री संतराम ध्रुव	कार्यालय—अधीक्षण अभियंता (वि.सु.) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुख्यालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर.	कार्यालय— अधीक्षण अभियंता (वि.सु.) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुख्यालय इन्द्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर.

2. उक्त आदेश माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिका WP (PIL) No. 91/2019, S. Santosh Kumar Vs State of Chhattisgarh & others, एवं WP (S) No. 9778/2019, Vishnu Prashanna Tiwari Vs State of Chhattisgarh & others में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा.

3. पदोन्नत अधिकारियों की पदोन्नति से वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी, पदोन्नति के परिप्रेक्ष्य में वरिष्ठता का दावा मान्य नहीं होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण कुमार हिंगवे, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 2 मई 2022

क्रमांक एफ-7-24/2014/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री दीपांशु विजय काबरा, (भापुसे-1997), आयुक्त जनसम्पर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर को दिनांक 05-05-2022 से 20-05-2022 (कुल 16 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 21 एवं 22 मई 2022 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री काबरा (भापुसे-1997), आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर, छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री काबरा को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री काबरा (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 मई 2022

क्रमांक एफ-7-02/2022/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा सुश्री रत्ना सिंह, (भापुसे-2019), नगर पुलिस अधीक्षक, आजाद चौक, रायपुर छ.ग. को दिनांक 25-04-2022 से 24-05-2022 (कुल 30 दिवस) तक का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है. साथ ही दिनांक 23 एवं 24 अप्रैल 2022 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर सुश्री रत्ना सिंह, (भापुसे-2019), नगर पुलिस अधीक्षक, आजाद चौक, रायपुर, छ.ग. के पद पर पुन: पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में सुश्री सिंह को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री रत्ना सिंह, (भापुसे) अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

5. सुश्री रत्ना सिंह (भापुसे-2019), नगर पुलिस अधीक्षक, आजाद चौक, रायपुर, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में उनका चालू प्रभार श्री राजेश चौधरी, (रापुसे.), नगर पुलिस अधीक्षक, पुरानी बस्ती, रायपुर, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 मई 2022

क्रमांक एफ 07-23/2019/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क के अंतर्गत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना-2031 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में एक दिन प्रकाशित की गई थी :—

नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में चेप्टर-18 के खण्ड 18.5.3.5, 18.6 एवं 18.8 में टी.ओ.डी. में उपांतरण

परिशिष्ट-एक, परिशिष्ट-दो, परिशिष्ट-तीन एवं परिशिष्ट-चार (संलग्न)

2. उक्त प्रस्तावित उपांतरण विकास योजना में टी.ओ.डी. में शामिल करने हेतु हैं.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित् समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं है.

4. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 का अंगीकृत भाग होगा.

परिशिष्ट – एक

Clause 18.5.3.1Modified Setbacks for various plots sizes in all landuses

1- MINIMUM SETBACKS FOR RESIDENTIAL PLOTTED

Sl. No.	Plot Size (sqmt)	अंगीकृत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में								अधिनियम की धारा 23–क के तहत उपांतरण प्रस्ताव					
		Plots Outside TOD				Plots Within TOD				Plot Area Range in Sq.m	Front	Rear	Side-1	Side-2	Max. Height (M)
		Front	Rear	Side-1	Side-2	Front	Rear	Side-1	Side-2						
1	40-60	1	2	0	0	0	1.5	0	0	40- upto 60	1.2	0.9	0	0	11
2	Above 60 and Upto 120	2	2	0	0	0	3	0	0	Above 60 - upto 120	1.5	1.2	0	0	11
3	Above 120 and Upto 250	3	2	0	0	0	4.5	0	0	Above 120 - upto 200	2.5	1.5	1.5	0	11
4	Above 250 and Upto 500	3	3	3	0	0	5	0	3	Above 200 - upto 300	3	1.5	2.5	0	11
5	Above 500 and Upto 1000	6	3	3	3	0	5	0	3	Above 300 - upto 400	4.5	1.5	2.5	0	11
6	Above 1000 and Upto 2000	9	3	3	3	1	6	3	0	Above 400 - upto 600	4.5	2	2.5	1.5	11
7	Above 2000	9	6	6	6					Above 600 - upto 1000	6	3	3	2	11
8	Above 2000and Below 4000					1	6	6	6	Above 1000	9	4.5	3	3	11
9	4000and above					1	6	6	6	Housing for the Special Class earmarked by Government	As per design and decision of Authority.				
										Since max. height permitted is 11m, the max. number of floors is 3.					

2-MINIMUM SETBACKS FOR GROUP HOUSING

<table>
<tr><th rowspan="2">Sl. No .</th><th rowspan="2">अंगीकृत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में</th><th colspan="7">अधिनियम की धारा 23–क के तहत उपांतरण प्रस्ताव</th></tr>
<tr><th>Sl. No.</th><th>Plot Area Range in Sq.m</th><th>Front</th><th>Rear</th><th>Side-1</th><th>Side-2</th><th>Max. Height (M)</th></tr>
<tr><td rowspan="7">1</td><td rowspan="7">b. Minimum Setbacks for Group Housing and Land uses other than Residential: In Case of Group housing and Land uses other than Residential development the setbacks as defined in Bhumi Vikas Niayam of Chhattisgarh shall be applicable.</td><td>1</td><td>Above 1000 upto 2000</td><td>9</td><td>4.5</td><td>3</td><td>3</td><td rowspan="4">As per Bhumi Vikas Niyam Rule 42A</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Above 2000- upto 5000</td><td>9</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Above 5000- upto 10000</td><td>12</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td>4</td><td>10000 and above</td><td>12</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="7">Basement shall be permitted in all group housing projects with setbacks in basement adhering to the norms minimum stated. Other norms for basement as per CG Bhumi Vikas Niyam.</td></tr>
<tr><td colspan="7">The category of Low-rise, Medium-rise and High-rise shall be determined by the Authority during time of tender based on abutting road category, frontage to water bodies/ plantation/ Visual Corridor, etc.</td></tr>
<tr><td colspan="7">In Development Plan, Clause 8.4.4.2 (Group Housing) is to be removed.</td></tr>
</table>

3-MINIMUM SETBACKS FOR MIXED LANDUSE

Sl. No	अंगीकृत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में	अधिनियम की धारा 23–क के तहत उपांतरण प्रस्ताव						
		Sl. No.	Plot Area Range in Sq.m	Front	Rear	Side-1	Side-2	Max. Height (M)
1	b. Minimum Setbacks for Group Housing and Land uses other than Residential: In Case of Group housing and Land uses other than Residential development the setbacks as defined in Bhumi Vikas Niayam of Chhattisgarh shall be applicable.	1	Above 60 - upto 120	1.5	2	0	0	11
		2	Above 120 - upto 200	2.5	2	0	0	11
		3	Above 200 - upto 300	3	2	0	0	11
		4	Above 300 - upto 400	3	2	2	1.5	11
		5	Above 400 - upto 600	4.5	2	2.5	1.5	11
		6	Above 600 - upto 1000	6	3	3	2	11
		7	Above 1000 -upto 2000	9	4.5	3	3	As per Bhumi Vikas Niyam Rule 42A
		8	Above 2000 - upto 5000	9	6	6	6	
		9	Above 5000 upto 10000	12	6	6	6	
		10	10000 and above	12	6	6	6	
		Lower Ground Floor shall be permitted in these plots of size more than 300 sq.m. with setbacks adhering to the norms minimum stated. Other norms for basement as per CG Bhumi Vikas Niyam.						

4.0 MINIMUM SETBACKS FOR INDUSTRIAL AND SPECIAL INDUSTRY LANDUSE

Sl. No.	अंगीकृत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में	अधिनियम की धारा 23—क के तहत उपांतरण प्रस्ताव						
		Sl. No.	Plot Area Range in sqm.	Setbacks				Max. Height (M)
				Front	Rear	Side-1	Side-2	
1	b.Minimum Setbacks for Group Housing and Land uses other than Residential: In Case of Group housing and Land uses other than Residential development the setbacks as defined in Bhumi Vikas Niayam of Chhattisgarh shall be applicable.	1	Above 450 - upto 750	3	1	3	1	As per Bhumi Vikas Niyam Rule 42A
		2	Above 750 - upto 1200	4.5	2	3	1.5	
		3	Above 1200 - upto 2500	6	3	3	1.5	
		4	Above 2500 - upto 5500	9	6	6	6	
		5	Above 5500 - upto 10000	12	6	6	6	
		6	10000 and above	12	6	6	6	

5.0 MINIMUM SETBACKS FOR COMMERCIAL

Sl. No.	Plot Size (sqmt)	अंगीकृत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में								अधिनियम की धारा 23—क के तहत उपांतरण प्रस्ताव						
		Plots Outside TOD				Plots Within TOD				Sl. No.	Plot Area Range in Sq.m	Front	Rear	Side-1	Side-2	Max. Height (M)
		Front	Rear	Side-1	Side-2	Front	Rear	Side-1	Side-2							
1	b. Minimum Setbacks for Group Housing and Land uses other than Residential: In Case of Group housing and Land uses other than Residential development the setbacks as defined in Bhumi Vikas Niayam of Chhattisgarh shall be applicable.									1	Above 40 - upto 60	1.5	1.2	0	0	11
										2	Above 60 - upto 120	1.5	1.2	0	0	11
										3	Above 120 - upto 250	2	1.5	1.5	0	11
										4	Above 250 - upto 500	3	2	2	1	11
										5	Above 500 - upto 1000	3	3	3	3	11
										6	Above 1000 & upto 2000	4.5	4.5	3	3	As per Bhumi Vikas Niyam Rule 42A.
										7	Above 2000 & upto 5000	6	6	6	6	
										8	Above 5000 & upto 10000	9	6	6	6	
										9	10000 and above	12	6	6	6	
										Lower Ground Floor shall be permitted in these plots of size more than 300 sqm. with setbacks adhering to the minimum stated.						

6.0 MINIMUM SETBACKS FOR PUBLIC-SEMI PUBLIC LANDUSE

अंगीकृत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में

Sl. No	Plot Size (sqmt)	Plots Outside TOD				Plots Within TOD			
		Front	Rear	Side-1	Side-2	Front	Rear	Side-1	Side-2
1	b.Minimum Setbacks for Group Housing and Land uses other than Residential: In Case of Group housing and Land uses other than Residential development the setbacks as defined in Bhumi Vikas Niayam of Chhattisgarh shall be applicable.								

अधिनियम की धारा 23-क के तहत उपांतरण प्रस्ताव

Sl. No.	Plot Area Range in sqm.	Setbacks				Max. Height (M)
		Front	Rear	Side-1	Side-2	
1	Upto 1000	3.0	2.0	2.0	2.0	11
2	Above 1000 - upto 2000	6.0	4.5	3.0	3.0	As per Bhumi Vikas Niyam 42A
3	Above 2000- upto 5000	9.0	6.0	6.0	6.0	
4	Above 5000 - upto 10000	9.0	6.0	6.0	6.0	
5	10000 and above	12.0	6.0	6.0	6.0	
Basement shall be permitted in these plots of size more than 500 sqm. with setbacks in basement adhering to the minimum stated.						
Other norms for basement as per CG Bhumi Vikas Niyam.						

7.0 MINIMUM SETBACKS FOR RECREATIONAL LANDUSE

Sl. No	Plot Size (sqmt)	अंगीकृत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में								अधिनियम की धारा 23—क के तहत उपांतरण प्रस्ताव						
		Plots Outside TOD				Plots Within TOD				Sl. No.	Plot Area Range in sqm.	Setbacks				Max. Height (M)
		Front	Rear	Side-1	Side-2	Front	Rear	Side-1	Side-2			Front	Rear	Side-1	Side-2	
1	b.Minimum Setbacks for Group Housing and Land uses other than Residential: In Case of Group housing and Land uses other than Residential development the setbacks as defined in Bhumi Vikas Niayam of Chhattisgarh shall be applicable.									1	Upto 500	2.0	2.0	2.0	1.0	11
										2	Above 500- upto 750	3.0	2.0	2.0	2.0	11
										3	Above 750 - upto 1000	6.0	3.0	3.0	3.0	11
										4	Above 1000 - upto 2000	6.0	4.5	3.0	3.0	11
										5	Above 2000 - upto 5000	9.0	6.0	6.0	6.0	11
										6	Above 5000 - upto 10000	12.0	6.0	6.0	6.0	11
										7	10000 and above	15.0	9.0	9.0	9.0	11

Note:

viii	The above minimum setbacks are to be maintained. However, the same to be adopted subject to fulfilment of the minimum ECS requirements applicable for the plot.
ix.	Setbacks in Abadi area may be relaxed by Authority.
x.	**Projections into open spaces**

	a	1-Cantilevered projections/ Projected balcony up to an extent of one third of the marginal open space or of width not more than 1.2 m whichever is lower shall be permissible on the upper slab level with a clear height for vehicular/pedestrian movement. These projections cannot be made at height below 2.5 meter from the ground level. This projection shall not construe to be covered area. It shall not project beyond the plot line and on roads or pathway. Area covered on the second and third floor levels as cantilever projection with at least 5.5-meter clear space below for movement, but not within the setback/marginal open space, shall not be counted in covered area. All area in the building shall be counted in covered areas except for Service ducts, garage on ground floor, lift well and 'podium.
	b	Cornice, roof or weather shade, sunshades over windows/ventilators or other openings not more than 0.75 m wide.
	c	"Canopy"- shall mean a cantilevered projection from the face of the wall over an entry to the building at the lintel or slab level provided that: i) It shall not project beyond the plot line. ii) It shall not be lower than 2.3 m. or 7'- 6" when measured from the ground. iii) There shall be no structure other than parapet wall on it and the top shall remain open to sky.
	d	Projecting rooms/balconies at alternate floors such that rooms of the lower two floors get light and air and the projection being not more than the height of the story immediately below. However, these projections are to be restricted within the marginal open spaces.

	e	Services of basic essential need and guard rooms may be permitted within the marginal open spaces subject to not hindering movement of pedestrian/ traffic.
	f	6- Porch: "Porch"- A covered surface supported on pillars or otherwise for the purpose of a pedestrian or vehicular approach to a building. There shall be no structure other than parapet wall on it and the top shall remain open to sky and it shall not project beyond the plot line. The porch shall not be counted towards FAR. Larger porches for mercantile/commercial, hotel and public buildings may be permitted restricted to marginal open spaces.
	g	Note: - For Ground Coverage and FAR calculation Part1 General, (19) " Covered Area" and (29) "Floor Area Ratio" of Bhumi Vikas Niyam to be followed.

परिशिष्ट - दो

Table 18.6: Ground Coverage, FAR, Height and Other Controls

SL No.	Use Premise (Plot Sizes)		Zone	अंगीकृत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में						अधिनियम की धारा 23—क के तहत उपांतरण प्रस्ताव						
				Max G.C (%)	Min FAR	Max FAR	FAR with Premium	Max. Height (m)	Other controls	Plot Sizes	Max. G.C. (%)	Proposed Min. FAR	Proposed Max. FAR	Proposed FAR with Premium	Max. Height (m)	Other Controls
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8. RESIDENTIAL																
1	**Residential - Plotted Development**	40 - below 60 m² (Incremental housing)	Outside TOD	NR	0.5	1.3		11	1 DU	40- upto 60	NR	0.35	1.50		11	1 DU
			TOD-10													
			TOD-5													
		Above 60-120 m²	Outside TOD	NR	0.5	1.3		11	2 DU	Above 60-120 m²	NR	0.35	1.50		11	2 DU
			TOD-10													
			TOD-5													
		Above 120-250 m²	Outside TOD	NR	0.5	1.3		11	2 DU	Above 120-200 m²	NR	0.35	1.50		11	2 DU
			TOD-10						2 DU							2 DU
			TOD-5						3 DU							3 DU
			Outside TOD	NR	0.5	1.3		11	2 DU	Above 200-	NR	0.35	1.50		11	2 DU

SL No.	Use Premise (Plot Sizes)	Zone	अंगीकृत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में						अधिनियम की धारा 23—क के तहत उपांतरण प्रस्ताव						
			Max G.C (%)	Min FAR	Max FAR	FAR with Premium	Max. Height (m)	Other controls	Plot Sizes	Max. G.C. (%)	Proposed Min. FAR	Proposed Max. FAR	Proposed FAR with Premium	Max. Height (m)	Other Controls
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Above 250 - 500 m2	TOD-10						3 DU	300 m2						3 DU
		TOD-5						4 DU							4 DU
	Above 500 m2	Outside TOD	NR	0.25	1.3		11	2 DU	Above 300-400 m2	NR	0.35	1.50		11	2 DU
		TOD-10						3 DU							3 DU
		TOD-5						4 DU							4 DU
									Above 400-600 m^2	NR	0.35	1.50		11	2 DU
															3 DU
															4 DU
									Above 600-1000 m^2	NR	0.35	1.50		11	2 DU
															3 DU
															4 DU
									Above 1000 m^2	NR	0.35	1.50		11	2 DU
															3 DU
															4 DU
	Housing for the Special	Outside TOD	NR	As per design; height restrictions as per Airport Authority of India norms.					Housing for the	NR	As per design; height restrictions as per Airport Authority of India norms.				
		TOD10													

SL. No.	Use Premise (Plot Sizes)		Zone	अंगीकृत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में						अधिनियम की धारा 23–क के तहत उपांतरण प्रस्ताव						
				Max G.C (%)	Min FAR	Max FAR	FAR with Premium	Max. Height (m)	Other controls	Plot Sizes	Max. G.C. (%)	Proposed Min. FAR	Proposed Max. FAR	Proposed FAR with Premium	Max. Height (m)	Other Controls
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Class earmarked by Government	TOD-5							Special Class earmarked by Government						
2	**Residential – Group Housing**		Outside TOD	NR	1	1.8	2	NR		Above 1000 - Upto 2000	30	0.5	1.75	2	As per Bhumi Vikas Niyam 42A	
										Above 2000-Upto 5000	30	0.5	2	2.5		
			TOD-10	NR	1.25	2.5	3	NR		Above 5000-Upto 10000	30	0.5	2.5	3		
			TOD-5	NR	1.5	3	4	NR		10000 and above	30	0.5	3	4		

SL. No.	Use Premise (Plot Sizes)		Zone	अंगीकृत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में						अधिनियम की धारा 23—क के तहत उपांतरण प्रस्ताव						
				Max G.C (%)	Min FAR	Max FAR	FAR with Prem ium	Max. Height (m)	Other controls	Plot Sizes	Max. G.C. (%)	Proposed Min. FAR	Proposed Max. FAR	Proposed FAR with Premium	Max. Height (m)	Other Controls
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Mixed Landuse									Above 60 - upto 120 m2	NR	0.5	1.5	2	11	As per decision of Authority
										Above 120 - upto 200 m2	NR	0.5	1.5	2	11	As per decision of Authority
										Above 200 - upto 300 m2	NR	0.5	1.5	2	11	
										Above 300 - upto 400 m2	NR	0.5	1.5	2	11	As per decision of Authority
										Above 400 - upto	NR	0.5	1.5	2	11	As per decision of Authority

SL. No.	Use Premise (Plot Sizes)	Zone	अंगीकृत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में						अधिनियम की धारा 23–क के तहत उपांतरण प्रस्ताव						
			Max G.C (%)	Min FAR	Max FAR	FAR with Premium	Max. Height (m)	Other controls	Plot Sizes	Max. G.C. (%)	Proposed Min. FAR	Proposed Max. FAR	Proposed FAR with Premium	Max. Height (m)	Other Controls
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									600 m2						
									Above 600 - upto 1000 m2	NR	0.5	1.5	2	11	As per decision of Authority
									Above 1000- Upto 2000	30	0.5	1.5	2	As per Bhumi Vikas Niyam 42A	
									Above 2000- Upto 5000	30	0.5	2.0	2.5		
									Above 5000- Upto 10000	30	0.5	2.5	3		
									10000 and above	30	0.5	3.0	4		

SL No.	Use Premise (Plot Sizes)	Zone	अंगीकृत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में						अधिनियम की धारा 23-क के तहत उपांतरण प्रस्ताव						
			Max G.C (%)	Min FAR	Max FAR	FAR with Premium	Max. Height (m)	Other controls	Plot Sizes	Max. G.C. (%)	Proposed Min. FAR	Proposed Max. FAR	Proposed FAR with Premium	Max. Height (m)	Other Controls
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9. INDUSTRIAL															
4	Flatted Group Industry	Outside TOD	NR	Minimum FAR to be removed and maximum to be kept as it is.	1.2	2	NR		Above 450 - upto 750	NR		1.2	2	As per Bhumi Vikas Niyam 42A	
		TOD-10	NR		1.2	2	NR		Above 750 - upto 1200	NR		1.2	2		
		TOD-5	NR		1.2	2	NR		Above 1200 - upto 2500	NR		1.2	2		
5	Light Service Industry	Outside TOD	NR		1.2	1.5	NR		Above 2500 - upto 5500	NR		1.2	1.5		
		TOD-10	NR		1.2	1.5	NR		Above 5500 - upto 10000	NR		1.2	1.5		

SL No.	Use Premise (Plot Sizes)	Zone	अंगीकृत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में						अधिनियम की धारा 23—क के तहत उपांतरण प्रस्ताव						
			Max G.C (%)	Min FAR	Max FAR	FAR with Premium	Max. Height (m)	Other controls	Plot Sizes	Max. G.C. (%)	Proposed Min. FAR	Proposed Max. FAR	Proposed FAR with Premium	Max. Height (m)	Other Controls
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		TOD-5	NR		1.2	1.5	NR		10000 and above	NR		1.2	1.5		
10. SPECIAL INDUSTRY															
6	IT and IT related industry.	Outside TOD	NR	Minimum FAR to be removed and maximum to be kept as it is.	2	2.5	NR		Above 450 - upto 750	NR		1.2	2.5	As per Bhumi Vikas Niyam 42A	
		TOD-10	NR		2.5	3	NR		Above 750 - upto 1200	NR		1.2	3		
		TOD-5	NR		3	4	NR		Above 1200 - upto 2500	NR		1.2	4		
7	Others	Outside TOD	NR		1.5	2.25	NR		Above 2500 - upto 5500	NR		1.2	2.25		
		TOD-10	NR		2.5	3	NR		Above 5500 -	NR		1.2	3		

SL. No.	Use Premise (Plot Sizes)	Zone	अंगीकृत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में						अधिनियम की धारा 23–क के तहत उपांतरण प्रस्ताव						
			Max G.C (%)	Min FAR	Max FAR	FAR with Premium	Max. Height (m)	Other controls	Plot Sizes	Max. G.C. (%)	Proposed Min. FAR	Proposed Max. FAR	Proposed FAR with Premium	Max. Height (m)	Other Controls
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									upto 10000						
		TOD-5	NR		3	4	NR		10000 and above	NR		1.2	4		
11. COMMERCIAL – RETAIL															
8	Convenience Shopping/ Shopping Areas in rural centres	Outside TOD	NR	0.3	1		NR			NR	0.3	1		As per Bhumi Vikas Niyam 42A	
		TOD-10	NR	0.5	1.5		NR			NR	0.3	1.5			
		TOD-5	NR	0.5	1.5		NR			NR	0.3	1.5			
9	Local Shopping Centre	Outside TOD	NR	0.5	1.5	2	NR			NR	0.3	1.5	2		
		TOD-10	NR	0.75	2.5	3	NR			NR	0.3	2.5	3		
		TOD-5	NR	1	3	4	NR			NR	0.3	3	4		
10	Commercial cum Business Complex	Outside TOD	NR	1	1.5	2	NR			NR	0.3	1.5	2		
		TOD-10	NR	1	2.5	3	NR			NR	0.3	2.5	3		
		TOD-5	NR	1	3	4	NR			NR	0.3	3	4.5		

SL No.	Use Premise (Plot Sizes)	Zone	अंगीकृत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में						अधिनियम की धारा 23–क के तहत उपांतरण प्रस्ताव						
			Max G.C (%)	Min FAR	Max FAR	FAR with Prem ium	Max. Height (m)	Other controls	Plot Sizes	Max. G.C. (%)	Proposed Min. FAR	Proposed Max. FAR	Proposed FAR with Premium	Max. Height (m)	Other Controls
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	Central Business District	Outside TOD	NR		1.5		NR	Max FAR within TOD zone shall be 4.00 on individual plot.		NR		1.5			Maximum FAR within TOD zone shall be 4 on individual plot.
		TOD-10	NR							NR					
		TOD-5	NR							NR					
12	Hotel	Outside TOD	NR	0.75	2	2.5	NR	5% of the F.A.R. can be used for the retail shopping.		NR	0.3	2	2.5		5% of the FAR can be used for the retail shopping.
		TOD-10	NR	1	2.5	3	NR			NR	0.3	2.5	3		
		TOD-5	NR	1	3	4	NR			NR	0.3	3	4		
12. COMMERCIAL – WHOLESALE															
13	Wholesale Trade / Warehousing (Integrated development)	Outside TOD	NR		1		NR	The subdivision shall be as per the Industrial Zone development		NR		1		As per Bhumi Vikas Niyam 42A	The subdivision shall be as per the Industrial Zone development
		TOD-10													
		TOD-5													

SL. No.	Use Premise (Plot Sizes)	Zone	अंगीकृत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में						अधिनियम की धारा 23–क के तहत उपांतरण प्रस्ताव						
			Max G.C (%)	Min FAR	Max FAR	FAR with Premium	Max. Height (m)	Other controls	Plot Sizes	Max. G.C. (%)	Proposed Min. FAR	Proposed Max. FAR	Proposed FAR with Premium	Max. Height (m)	Other Controls
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13. PUBLIC/ SEMI PUBLIC															
14	Public, Semi-public and Private Premises (Habitat Academy, Press Enclave, NCC, Police Academy, Police Station / Fire Post / Fire Station/ Post and Telegraph Office, Head Office, Post Office)	Outside TOD	50	0.5	1.25	1.5	NR			50	0.3	1.25	1.5	As per Bhumi Vikas Niyam 42A	
		TOD-10	NR	0.75	2	3	NR			NR	0.3	2	3		
		TOD-5	NR	1	3	4	NR			NR	0.3	3	4		
15	Public Utilities such as Bus Depot, Terminus, Crematorium	Outside TOD	NR		1	1.5	NR			NR		1	1.5		
		TOD-10	NR		2	3	NR			NR		2	3		
		TOD-5	NR		3	4	NR			NR		3	4		
16	Hospital / Health Centre	Outside TOD	50	0.5	1.3	1.8	NR			50	0.3	1.3	1.8		
		TOD-10	NR	0.75	2	3	NR			NR	0.3	2	3		
		TOD-5	NR	1	3	4	NR			NR	0.3	3	4		
17	Nursing Home	Outside TOD	50	0.5	1.3	1.8	NR			50	0.3	1.3	1.8		
		TOD-10	NR	0.5	1.3	1.8	NR			NR	0.3	1.3	1.8		
		TOD-5	NR	0.5	1.5	2	NR			NR	0.3	1.5	2		

SL. No.	Use Premise (Plot Sizes)	Zone	अंगीकृत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में						अधिनियम की धारा 23—क के तहत उपांतरण प्रस्ताव						
			Max G.C (%)	Min FAR	Max FAR	FAR with Premium	Max. Height (m)	Other controls	Plot Sizes	Max. G.C. (%)	Proposed Min. FAR	Proposed Max. FAR	Proposed FAR with Premium	Max. Height (m)	Other Controls
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13. PUBLIC/ SEMI PUBLIC															
14	Public, Semi-public and Private Premises (Habitat Academy, Press Enclave, NCC, Police Academy, Police Station / Fire Post / Fire Station/ Post and Telegraph Office, Head Office, Post Office)	Outside TOD	50	0.5	1.25	1.5	NR			50	0.3	1.25	1.5	As per Bhumi Vikas Niyam 42A	
		TOD-10	NR	0.75	2	3	NR			NR	0.3	2	3		
		TOD-5	NR	1	3	4	NR			NR	0.3	3	4		
15	Public Utilities such as Bus Depot, Terminus, Crematorium	Outside TOD	NR		1	1.5	NR			NR		1	1.5		
		TOD-10	NR		2	3	NR			NR		2	3		
		TOD-5	NR		3	4	NR			NR		3	4		
16	Hospital / Health Centre	Outside TOD	50	0.5	1.3	1.8	NR			50	0.3	1.3	1.8		
		TOD-10	NR	0.75	2	3	NR			NR	0.3	2	3		
		TOD-5	NR	1	3	4	NR			NR	0.3	3	4		
17	Nursing Home	Outside TOD	50	0.5	1.3	1.8	NR			50	0.3	1.3	1.8		
		TOD-10	NR	0.5	1.3	1.8	NR			NR	0.3	1.3	1.8		
		TOD-5	NR	0.5	1.5	2	NR			NR	0.3	1.5	2		

SL No.	Use Premise (Plot Sizes)	Zone	अंगीकृत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में						अधिनियम की धारा 23-क के तहत उपांतरण प्रस्ताव						
			Max G.C (%)	Min FAR	Max FAR	FAR with Prem ium	Max. Height (m)	Other controls	Plot Sizes	Max. G.C. (%)	Proposed Min. FAR	Proposed Max. FAR	Proposed FAR with Premium	Max. Height (m)	Other Controls
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	Petrol pumps	Outside TOD TOD-10 TOD-5	Petrol Pump Design guidelines to be followed.							Petrol Pump Design guidelines to be followed.					
19	Religious Premises	Outside TOD TOD-10 TOD-5	50		1	2	NR	Max 15% of the FAR shall be used for Housing including hostels / guest house.		50		1	2	As per Bhumi Vikas Niyam 42A	Maximum 15% of the FAR shall be used for Housing including Hostels/Guest House.
20	Community Hall/ Auditorium	Outside TOD TOD-10 TOD-5	50		1.5	2	NR			50	0.3	1.5	2		
21	Nursery School	Outside TOD TOD-10 TOD-5	NR		1		NR	Min 10% of the land area shall be earmarked		NR	0.3	1	2		Minimum 10% of the land area shall be earmarked for

SL No.	Use Premise (Plot Sizes)	Zone	अंगीकृत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में						अधिनियम की धारा 23–क के तहत उपांतरण प्रस्ताव						
			Max G.C (%)	Min FAR	Max FAR	FAR with Premium	Max. Height (m)	Other controls	Plot Sizes	Max. G.C. (%)	Proposed Min. FAR	Proposed Max. FAR	Proposed FAR with Premium	Max. Height (m)	Other Controls
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								for Playground. However, the FAR shall be calculated on Gross plot area.							Playground. However, the FAR shall be calculated on Gross plot area.
22	Primary School	Outside TOD	NR	0.5	1	1.5	NR	Min 40% of the land area shall be earmarked for Playground. However The FAR shall be calculated on Gross plot area. School for		NR	0.3	1	1.5		Minimum 40% of the land area shall be earmarked for Playground. However, the FAR shall be calculated on Gross plot area. School for the handicapped shall have the same norms as
		TOD-10	NR	0.75	1.3	1.8	NR			NR	0.3	1.3	1.8		
		TOD-5	NR	0.75	1.5	2	NR			NR	0.3	1.5	2		

SL No.	Use Premise (Plot Sizes)	Zone	अंगीकृत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में						अधिनियम की धारा 23–क के तहत उपांतरण प्रस्ताव						
			Max G.C (%)	Min FAR	Max FAR	FAR with Premium	Max. Height (m)	Other controls	Plot Sizes	Max. G.C. (%)	Proposed Min. FAR	Proposed Max. FAR	Proposed FAR with Premium	Max. Height (m)	Other Controls
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								the handicapped shall have the same norms as the primary school.							the primary school.
23	Secondary School / Senior Secondary School / Integrated Residential School (Separate Provision to be made)	Outside TOD	NR	0.75	1.2	1.8	NR	Min 40% of the land area shall be earmarked for Playground. However The FAR shall be calculated on Gross plot area		NR	0.3	1.2	1.8		Minimum 40% of the land area shall be earmarked for Playground. However the FAR shall be calculated on Gross plot area
		TOD-10	NR	0.75	1.3	1.8	NR			NR	0.3	1.3	1.8		
		TOD-5	NR	0.75	1.5	2	NR			NR	0.3	1.5	2		
24	College		NR	0.5	1.2	1.8	NR	Note:		NR	0.3	1.2	1.8		Note:

SL No.	Use Premise (Plot Sizes)	Zone	अंगीकृत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में						अधिनियम की धारा 23—क के तहत उपांतरण प्रस्ताव						
			Max G.C (%)	Min FAR	Max FAR	FAR with Premium	Max. Height (m)	Other controls	Plot Sizes	Max. G.C. (%)	Proposed Min. FAR	Proposed Max. FAR	Proposed FAR with Premium	Max. Height (m)	Other Controls
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Outside TOD						In case of educational institutions, the total area of the plot shall be divided in: (i) College building area (Min 40 %), (ii) Playfield (Min 40%), (iii) Parking area (Min 10%) and (iv) Residential and							In case of Educational Institutions, the total area of the plot shall be divided in: (i) College building area (Min. 40 %), (ii) Playfield (Min. 40%), (iii) Parking area (Min. 10%) and (iv) Residential and Hostel area (Max.10%). The maximum FAR shall be calculated on the entire
		TOD-10	NR	0.6	1.5	2.25	NR			NR	0.3	1.5	2.25		
		TOD-5	NR	0.75	2	3	NR			NR	0.3	2	3		

SL No.	Use Premise (Plot Sizes)	Zone	अंगीकृत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में						अधिनियम की धारा 23–क के तहत उपांतरण प्रस्ताव						
			Max G.C (%)	Min FAR	Max FAR	FAR with Prem ium	Max. Height (m)	Other controls	Plot Sizes	Max. G.C. (%)	Proposed Min. FAR	Proposed Max. FAR	Proposed FAR with Premium	Max. Height (m)	Other Controls
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								hostel area (Max.10%). The maximum FAR shall be calculated on the entire gross area of the college.							gross area of the college.
25	Capitol Complex	Outside TOD	NR		1		NR			NR		1			
		TOD-10													
		TOD-5													
26	Exhibition Ground	Outside TOD	NR		0.5		NR	The structures in the Exhibition Ground Area shall be		NR		0.5			The structures in the Exhibition Ground Area shall be temporary in nature. 25% of
		TOD-10													
		TOD-5													

SL No.	Use Premise (Plot Sizes)	Zone	अंगीकृत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में						अधिनियम की धारा 23–क के तहत उपांतरण प्रस्ताव						
			Max G.C (%)	Min FAR	Max FAR	FAR with Premium	Max. Height (m)	Other controls	Plot Sizes	Max. G.C. (%)	Proposed Min. FAR	Proposed Max. FAR	Proposed FAR with Premium	Max. Height (m)	Other Controls
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								temporary in nature. 25% of FAR could be for permanent structures.							FAR could be for permanent structures.
27	Other institutional areas (not covered above)	Outside TOD	NR	0.5	1.5	2	NR	Max 15% of the FAR shall be used for Housing including Hostels/ guest house.		NR	0.3	1.5	2		Maximum 15% of the FAR shall be used for Housing including Hostels/Guest House.
		TOD-10	NR	0.75	2	3	NR			NR	0.3	2	3		
		TOD-5	NR	1	3	4	NR			NR	0.3	3	4		
14. RECREATIONAL															
28	Recreational Area	Outside TOD	NR	Minimum	0.2		11	1. Facilities as listed in		NR		0.2		11	1. Facilities as listed in Table 18.1 shall be
		TOD-10													

SL No.	Use Premise (Plot Sizes)	Zone	अंगीकृत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में						अधिनियम की धारा 23–क के तहत उपांतरण प्रस्ताव						
			Max G.C (%)	Min FAR	Max FAR	FAR with Premium	Max. Height (m)	Other controls	Plot Sizes	Max. G.C. (%)	Proposed Min. FAR	Proposed Max. FAR	Proposed FAR with Premium	Max. Height (m)	Other Controls
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		TOD-5		Removed				table 18.1 shall be allowed with permission from the authority on Max ground coverage 15% of the gross land. 2. Maximum built space to be within 0.2 FAR. 3. The gross FAR can be							allowed with permission from the authority on maximum ground coverage i.e. 15% of the gross land. 2. Maximum built space to be within 0.2 FAR. 3. The gross FAR can be distributed on individual plot as per the approved layout provided the maximum

SL. No.	Use Premise (Plot Sizes)	Zone	अंगीकृत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में						अधिनियम की धारा 23–क के तहत उपांतरण प्रस्ताव						
			Max-G.C (%)	Min FAR	Max FAR	FAR with Premium	Max. Height (m)	Other controls	Plot Sizes	Max. G.C. (%)	Proposed Min. FAR	Proposed Max. FAR	Proposed FAR with Premium	Max. Height (m)	Other Controls
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								distributed on individual plot as per the approved layout provided the Max FAR on individual plot shall not be more than 0.50. 4. In case of plots falling under TOD zones the FAR can be							FAR on individual plot shall not be more than 0.50. 4. In case of plots falling under TOD zones the FAR can be increased upto 0.6.

SL No.	Use Premise (Plot Sizes)	Zone	अंगीकृत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में						अधिनियम की धारा 23—क के तहत उपांतरण प्रस्ताव						
			Max G.C (%)	Min FAR	Max FAR	FAR with Prem ium	Max. Height (m)	Other controls	Plot Sizes	Max. G.C. (%)	Proposed Min. FAR	Proposed Max. FAR	Proposed FAR with Premium	Max. Height (m)	Other Controls
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								increased upto 0.6.							
									Note: m) For projects in Layer III, development regulations to be decided by NRANVP as per AAI norms.						

SL No.	Use Premise (Plot Sizes)	Zone	अंगीकृत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में						अधिनियम की धारा 23–क के तहत रुपांतरण प्रस्ताव						
			Max G.C (%)	Min FAR	Max FAR	FAR with Premium	Max. Height (m)	Other controls	Plot Sizes	Max. G.C. (%)	Proposed Min. FAR	Proposed Max. FAR	Proposed FAR with Premium	Max. Height (m)	Other Controls
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									n) Abiding by the Nava Raipur Atal Nagar Development Plan 2031, land/plots for EWS is to be reserved in 4 Planning Units (zones) in Layer I. In each zone, reservation of 15% dwelling units for EWS and 10% dwelling units for LIG are proposed. For EWS, Plotted: Flats = 60:40, For LIG, 100% Flats. Land parcels have been identified in 4 different Planning units (zones) in consonance with Nava Raipur Atal Nagar Development Plan 2031 Clause No 11.2, wherein "The city has been divided into 4 Planning Units/ communities of 1 – 1.5 lac population each to provide for proper and equitable distribution of facilities (Refer map 11.2)" in page no. 74B.2 Each zone consists of few residential sectors and the proposed land parcels within residential Landuse are within 2-3 km distance within each zone.						
									0- In case of private developers minimum FAR on individual residential plots shall be 0.5.						

परिशिष्ट - तीन

Modifications proposed in development code regulations 2020

Sl. No.	अंगीकृत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में		अधिनियम की धारा 23–क के तहत उपांतरण प्रस्ताव	
15	Clause 18.8 Urban Design Control	10 Setbacks in Sector 19, 21 and 24 (Office Complex) need to be as per Urban Design Guidelines.	Clause 18.8 Urban Design Control	10. Point No 10. Setbacks, height, and facade control for plots abutting Ekatm Path need to be as per Urban Design guidelines approved by Authority. For plots inside Capitol Complex (Sector 19), building lines and heights to be decided by Authority.

परिशिष्ट - चार

Proposed locations zone-wise for housing the EWS and LIG

Sl. No.	अंगीकृत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में	अधिनियम की धारा 23–क के तहत उपांतरण प्रस्ताव
16		Figure 9.7 Proposed locations zone-wise for housing the EWS and LIG (Refer Table No 18.6, Note No. 'n') 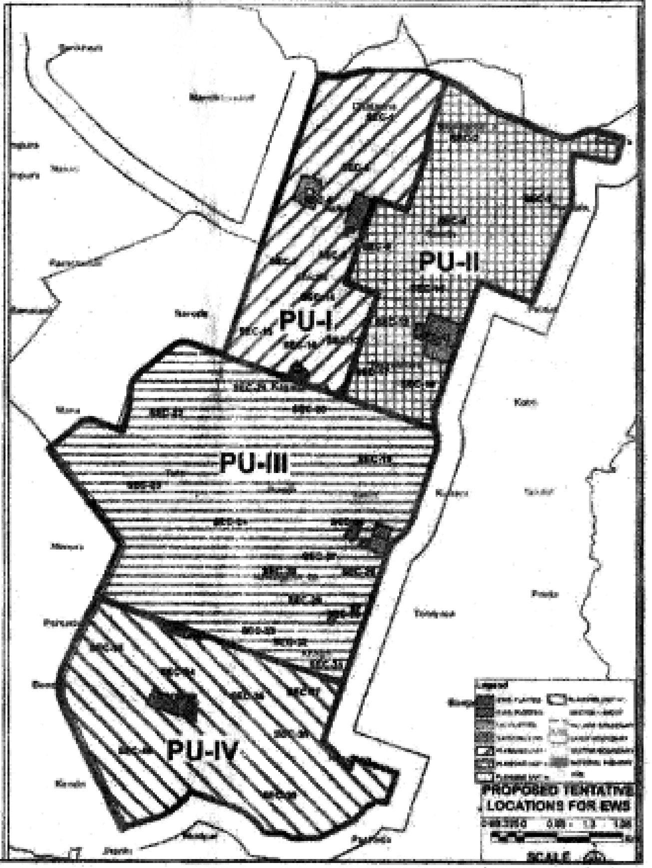

छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 23–क के तहत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में उपांतरण प्रस्ताव

स.क.	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हे.में)		अंगीकृत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में प्रस्तावित भू–उपयोग	अधिनियम की धारा 23–क के तहत उपांतरण प्रस्ताव
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]	[6]
1	नवागांव	253 का भाग	2.190 में से	0.140	पब्लिक सेमीपब्लिक	आमोद–प्रमोद
2	नवागांव	254 का भाग	0.320 में से	0.002	पब्लिक सेमीपब्लिक	आमोद–प्रमोद
3	नवागांव	255 का भाग	2.730 में से	0.514	पब्लिक सेमीपब्लिक	आमोद–प्रमोद
4	नवागांव	262 का भाग	2.620 में से	0.299	पब्लिक सेमीपब्लिक	आमोद–प्रमोद
5	नवागांव	397 का भाग	7.730 में से	0.494	पब्लिक सेमीपब्लिक	आमोद–प्रमोद
6	नवागांव	393 का भाग	1.370 में से	0.787	आमोद–प्रमोद	पब्लिक सेमीपब्लिक
7	नवागांव	394 का भाग	0.040 में से	0.032	आमोद–प्रमोद	पब्लिक सेमीपब्लिक
8	नवागांव	395 का भाग	1.660 में से	0.628	आमोद–प्रमोद	पब्लिक सेमीपब्लिक
9	नवागांव	398 का भाग	2.000 में से	0.919	आमोद–प्रमोद	पब्लिक सेमीपब्लिक
10	नवागांव	399 का भाग	0.530 में से	0.092	आमोद–प्रमोद	पब्लिक सेमीपब्लिक
11	नवागांव	561 का भाग	19.180 में से	0.077	आमोद–प्रमोद	पब्लिक सेमीपब्लिक
			Total	3.983		

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 25 मई 2022

क्रमांक एफ 07–48/2021/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23–क की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 29-03-2022 द्वारा आरंग विकास योजना 2031 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में एक दिन प्रकाशित की गई थी :—

आरंग विकास योजना 2031 में स्वीकृत एवं स्वीकार उपयोग की बिन्दु क्रमांक 16.7 की सारणी 16.1, बिन्दु क्रमांक 16.8 की सारणी 16.2, बिन्दु क्रमांक 16.9.1.13 की सारणी 16.17 उपांतरण :—

(1) **सारणी 16.1 उपयोग श्रेणी में स्वीकृत गतिविधियाँ**

स. क्र.	उपयोग श्रेणी	स्वीकृत गतिविधिया में शामिल किया जाकर उपांतरण
20	कृषि-2 (Ag2)	बायो एथेनॉल (ग्रेन बेस्ड) सह-कैपटीव पावर प्लांट

(2) **सारणी 16.2 उपयोग परिक्षेत्र में अनुज्ञेय एफ.ए.आर. एवं स्वीकृत तथा स्वीकार्य उपयोग श्रेणी**

स.क्र.	उपयोग परिक्षेत्र	अनुज्ञेय एफ.ए.आर.	प्रभार योग्य एफ.ए.आर.	अधिकतम एफ.ए.आर.	स्वीकृत उपयोग श्रेणी	सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार्य उपयोग श्रेणी शामिल किया जाकर उपांतरण
14	कृषि क्षेत्र	1.0	00	1.00	—	बायो एथेनॉल (ग्रेन बेस्ड) सह-कैपटीव पावर प्लांट

(3) **सारणी 16.17 कृषि क्षेत्र में मार्ग चौड़ाई अनुसार स्वीकृत उपयोग श्रेणीयॉ**

स. क्र.	मार्ग चौड़ाई (मीटर में)	स्वीकृत उपयोग श्रेणीयॉ शामिल किया जाकर उपांतरण
4	30 मीटर और 30 मीटर से अधिक	बायो एथेनॉल (ग्रेन बेस्ड) सह-कैपटीव पावर प्लांट

नोट :— भवन की चौड़ाई आंतरिक खुला क्षेत्र, खुला क्षेत्र, पार्किंग, बेसमेंट आदि छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में औद्योगिक प्रयोजन हेतु निर्धारित मापदण्ड अनुसार मान्य होंगे.

2. उक्त प्रस्तावित उपांतरण राज्य में अधिशेष खाद्यान्न आधारित बायो-एथेनॉल (जैव ईधन) उत्पादन संयंत्र प्रयोजन हेतु है.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा आरंग विकास योजना 2031 में उपयोग उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण आरंग विकास योजना 2031 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. तिर्की, उप-सचिव.

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 5 मई 2022

क्रमांक एफ 1-01/2022/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित भारतीय वन सेवा अधिकारियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए कॉलम क्रमांक-4 अनुसार नवीन पदस्थापना पद पर अस्थाई रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री एस. एस. बजाज, भा.व.से. (1988)	अपर प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर अटल नगर.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह विशेष प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य लघु वनापेज संघ, नवा रायपुर अटल नगर.
2.	श्री सुधीर कुमार अग्रवाल, भा.व.से. (1988)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वित्त/बजट) छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर.
3.	श्रीमती संजीता गुप्ता, भा.व.से. (1997)	मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता/शिकायत) छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट) छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर.
4.	श्री सौरभ सिंह ठाकुर, भा.व.से. (2017)	वनमण्डलाधिकारी, अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र, सा.वा.व.मं., जगदलपुर.	वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर-चांपा वनमण्डल, चांपा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. चंचलानी, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 27 अप्रैल 2022

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/4864/भू-अर्जन/2022.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	देवरी	1.133 हे.	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य एवं शाखा नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 09-5-2022 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन देवरी पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

01.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य एवं शाखा नहर निर्माण हेतु.
02.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	20 परिवार
03.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	20 परिवार
04.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
05.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
06.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
07.	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
08.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 5607.66 लाख
09.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	परियोजना से 1991 हे. में खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं. तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 27 अप्रैल 2022

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/4870/भू-अर्जन/2022.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	ढेलवाडीह	2.478 हे.	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 09-05-2022 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन ढेलवाडीह पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

01.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.
02.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	26 परिवार
03.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	26 परिवार
04.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
05.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
06.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
07.	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
08.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 5607.66 लाख
09.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	परियोजना से 1991 हे. में खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं. तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रानू साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जगदलपुर, दिनांक 6 मई 2022

[नियम 19(2) देखिए]

क्रमांक क/भू-अर्जन/05/अ-82/2016-17.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19(2) के तहत यह घोषित किया जाता है कि ग्राम परपा की निजी भूमि अर्जन से प्रभावित खातेदार/परिवार को निम्नानुसार पुनर्वास लाभ प्राप्त होंगे.

क्रमांक (1)	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारी के अवयव (2)	क्या उपलब्ध कराया गया है यदि उपलब्ध कराया गया है तो व्यौरा दें (3)
01	विस्थापन की दशा में मकान इकाइयों की व्यवस्था	लागू नहीं होता.
02	भूमि के लिए भूमि	लागू नहीं होता.
03	विकसित भूमि के लिए प्रस्थापना	लागू नहीं होता.
04	वार्षिक या नियोजन का विकल्प	छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश क्रमांक एफ-7-4/सात-1/2015/दिनांक 29-08-2016 में निहित निर्देश/प्रावधान अनुसार भू-अर्जन अधिनियम 2013 की अनुसूची "दो" की कण्डिका-4 का लाभ पात्र प्रभावित खातेदार/परिवार को प्राप्त होगा.
05	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान.	लागू नहीं होता.
06	विस्थापित कुटुबों के लिए परिवहन खर्च	लागू नहीं होता.
07	पशु बाड़ा/छोटी दुकान खर्च	लागू नहीं होता.
08	कारीगरों छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एक बार अनुदान.	लागू नहीं होता.
09	मछली पकड़ने का अधिकार	लागू नहीं होता.
10	एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	लागू नहीं होता.
11	स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस	लागू नहीं होता.

1- तद्अनुसार आज दिनांक 6-5-2022 को यह घोषणा पत्र जारी किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 9 मई 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/202007042200028/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	मुनुन्द	0.072	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग रायगढ़ संभाग, रायगढ़.	मुख्य मार्ग धरमजयगढ़ खरसिया से मुनुन्द पहुंच मार्ग के निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 12 मई 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	पाली	0.283	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायगढ़.	रायगढ़-हमीरपुर मार्ग के सड़क उन्नयन हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 6 मई 2022

क्रमांक 20/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	दरिमा	अड़ची प.ह.नं. 41	0.357	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.).	रकेली व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर एवं उप नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 6 मई 2022

क्रमांक 21/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	दरिमा	कुनियाकला प.ह.नं. 42	2.803	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.).	रकेली व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं उप नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 28 अप्रैल 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-01/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-खर्री बड़े
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.298 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	46/1ग	0.004
	46/1ड.	0.008
	46/1ज/2	0.004
	58/2, 58/8	0.048
	234/1, 60/1	0.032
	351/2	0.065
	224	0.028
	228/2	0.024
	222/2	0.012
	504/1	0.133
	509/5	0.081
	235/2घ	0.012
	46/1झ	0.008
	46/1ट	0.004
	58/5	0.0016
	234/5, 60/2	0.031
	351/4	0.065
	226/1	0.032
	228/3	0.024
	223/2	0.008
	507	0.012
	509/8	0.113
	235/3	0.032
	58/9	0.022
	46/2	0.061
	235/2ख	0.032
	234, 60/3	0.012
	222/3	0.049
	227/1	0.008
	352/2	0.008
	351/3क	0.016
	509/3	0.028
	58/4	0.010
	46/1च	0.008
	46/1ज/1	0.008
	58/1	0.024
	235/2ग	0.012
	351/1	0.024
	223/1ख	0.141
	227/2	0.028
	351/5	0.024
	351/3ख	0.016
	509/4	0.012
योग	43	1.298

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लात नाला व्यपवर्तन योजना के तहत् नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 अप्रैल 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-02/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-सारंगढ़
(ग) नगर/ग्राम-केंवटीनढ़ोही
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.997 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	23/3क	0.028
	23/8ख	0.085
	23/5क	0.034
	26/3क	0.073
	31/1	0.061
	98/5	0.008
	98/7	0.097
	99/4/ख	0.004
	102/8	0.028
	23/4क	0.036
	23/8क	0.028
	75/1ख/1	0.028
	26/3/ख	0.004
	75/1क/1	0.053
	98/6/ख	0.024
	99/1	0.053
	100/6	0.020
	107	0.175
	23/6ख	0.057
	100/4	0.049
	23/7ख	0.137
	26/4	0.077
	75/1ख/2	0.053
	98/8	0.113
	99/2	0.073
	101/7ख	0.036
	108	0.097
	23/6ग	0.045
	100/7	0.097
	25	0.093
	29/2क	0.041
	98/4	0.073
	99/14	0.073
	99/4/क	0.012
	102/1क	0.032
योग	35	1.997

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लात नाला व्यपवर्तन योजना के तहत् नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 अप्रैल 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-03/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-सारंगढ़
(ग) नगर/ग्राम-ठाकुरदिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.104 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
65/1	0.141
65/5	0.141
113	0.109
124/2	0.012
65/2	0.109
66	0.004
110/2	0.024
65/3क	0.162
109/2	0.266
112/1घ	0.105
65/4	0.254

	(1)	(2)
	110/1	0.615
	124/1	0.162
योग	13	2.104

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लात नाला व्यपवर्तन योजना के तहत् नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 अप्रैल 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-04/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सिंघनपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.354 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	2/2, 3/1	0.170
	8	0.061
	139/1	0.016
	56/6	0.077
	56/2	0.081
	69/1	0.097
	313/2	0.016
	185, 186/2	0.020
	211/2	0.028
	139/2	0.085
	2/3, 3/3	0.024
	7/1	0.105
	156/1	0.061
	56/1ग	0.028
	187	0.024
	68/2, 69/2	0.069
	158/3, 160/3	0.081
	188/1, 189/1, 190/1	0.097
	212/2	0.012
	139/5	0.142
	188/2	0.036
	7/2	0.032
	56/1क	0.008
	56/7	0.049
	56/3	0.057
	68/3	0.146
	139/4	0.134
	136/2	0.008
	164	0.113
	169/1	0.012
	6	0.073
	9/1	0.008
	56/1ख	0.041
	156/3	0.036
	56/4	0.016
	157	0.053
	185, 186/4	0.073
	188/3, 189/3	0.012
	167	0.153
योग	39	2.354

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लात नाला व्यपवर्तन योजना के तहत् नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 अप्रैल 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-05/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-सारंगढ़

(ग) नगर/ग्राम-कपिस्दा "ब"

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.140 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	456	0.028
	461	0.073
	467	0.470
	457	0.053
	464	0.081
	468/1	0.137
	462	0.121
	463	0.016
	468/2	0.020
	459	0.036
	466	0.081
	469/12	0.024
योग	12	1.140

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लात नाला व्यपवर्तन योजना के तहत् नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 अप्रैल 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-06/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-सारंगढ़

(ग) नगर/ग्राम-ठाकुरपाली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.853 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
66/1ग	0.020
73	0.020
288/2	0.032
76	0.085
83/1	0.186
84/1	0.032
96/5	0.065
99/2ख	0.097
126	0.032
133/1	0.032
299/1	0.085
155/3	0.053
164/1	0.041
236/3ख	0.061
170/3	0.065
236/3क	0.113
198/4क	0.053
275/1ग	0.004
208/1ख	0.016
226/1	0.041
229/3	0.057
247/1	0.190
67/1	0.065
74	0.004
177	0.170
78	0.121
86/2	0.210
94	0.162
96/7	0.138
99/1	0.036
133/4	0.028
132	0.093
134/1	0.053
172/3	0.113
164/3क	0.032
290/4	0.089

(1)	(2)
208/2ख	0.012
198, 224/1	0.049
206/2	0.012
206/1क	0.012
208/2क	0.032
226/2	0.093
230	0.028
240/1घ	0.085
67/2, 70/2	0.283
81	0.061
238	0.008
79/1	0.008
245	0.137
199	0.089
98/3	0.089
124/2	0.004
133/2	0.028
125/4	0.057
134/2	0.008
155/2	0.057
164/3ख	0.069
164/4ख	0.049
171/1ख	0.073
200	0.069
243	0.008
206/3	0.004
210	0.065
229/2क	0.028
229/1	0.041
68/2	0.146
278	0.150
75	0.097
82/2	0.041
246/1	0.008
201	0.061
99/2क	0.049
129, 130	0.032
133/3	0.032
131/2	0.016
155/1	0.121
171/1क	0.093
236/1	0.081
170/2	0.057
172/2	0.085
291/3	0.016
249/2	0.020
208/1क	0.024
236/2ख	0.008
229/2ख	0.028
235	0.137
127/1	0.146
276/1क	0.004
225/5	0.024
127/2	0.049
193/2, 197	0.105
128/2	0.089
128/1	0.121
95	0.012
228/1	0.032
290/2	0.004
171/1ग	0.036
258/3क	0.065
277/1	0.081
258/1	0.081
277/2ख	0.085
258/3ख	0.020
290/3	0.053
276/1ख	0.121
291/5	0.081
236/3ग	0.049
244	0.041
योग 107	6.853

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लात नाला व्यपवर्तन योजना के तहत् नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 अप्रैल 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-07/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-सारंगढ़
(ग) नगर/ग्राम-कटराडीह
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.452 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	30/1/क/1	0.061
	30/1/ड.	0.053
	39/1/घ	0.028
	39/25	0.008
	30/1ख	0.049
	30/1/च	0.141
	39/3	0.020
	41/1	0.073
	30/1ट, 30/1ठ	0.315
	39/1/क	0.045
	39/4	0.303
	41/2	0.045
	30/1/घ	0.073
	39/1/ख	0.024
	39/26	0.210
	42/2	0.004
योग	16	1.452

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लात नाला व्यपवर्तन योजना के तहत् नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-सारंगढ़
(ग) नगर/ग्राम-नौरंगपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.783 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	50/5ज	0.583
	50/1ख	0.145
	55/1ग, 57/1ग	0.049
	79/7	0.016
	46/1ग	0.267
	50/4	0.170
	79/3/क	0.016
	50/1क	0.125
	56/3	0.028
	79/3/ख	0.113
	56/2	0.041
	55/1क, 57/1क	0.133
	79/4	0.097
योग	13	1.783

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लात नाला व्यपवर्तन योजना के तहत् नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 अप्रैल 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-08/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

रायगढ़, दिनांक 28 अप्रैल 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-09/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-जोगनीपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.023 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	4/1	0.085
	14	0.194
	24/1ख	0.004
	24/3क	0.032
	34/2	0.153
	36/1क	0.085
	40/3	0.028
	4/3	0.218
	15	0.024
	24/1घ	0.081
	25/1	0.008
	35/1	0.158
	36/1ख	0.032
	40/4	0.109
	4/4	0.008
	13/3	0.012
	24/1ग	0.121
	26/5	0.202
	35/2	0.004
	36/2	0.073
	26/2	0.089
	13/2	0.016
	13/4	0.041
	24/2/क	0.129
	32/2	0.016
	35/3	0.004
	37	0.097
योग	27	2.023

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लात नाला व्यपवर्तन योजना के तहत् नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बस्तर, दिनांक 6 मई 2022

क्रमांक क/भू-अर्जन/05/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-परपा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.32 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	106	0.32
योग	01	0.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जगदलपुर से मुख्य अभियंता (निर्माण II) दक्षिण पूर्व तट रेलवे विशाखापटनम हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर, जिला बस्तर, मुख्य अभियंता (निर्माण II) दक्षिण पूर्व तट रेलवे विशाखापटनम (जगदलपुर) कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण

पर्यावास भवन, नार्थ-ब्लाक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 23 मई 2022

क्रमांक 4066.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 64 की उपधारा (1) तथा (2) की प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. राज्य सरकार ने राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया जिसे अधिसूचना दिनांक 7 जुलाई 2006 के द्वारा नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी नामित किया गया. जिसे 14 जून 2019 को संशोधित करते हुये द्वारा नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण नामित किया गया.

2. छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 65 की उपधारा क (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के संचालक मंडल की 67वीं बैठक दिनांक 13-09-2021 के एजेण्डा क्रमांक-18 में लिए गए निर्णय के परिपालन में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 की धारा 69, 69-क, 69-ख तथा 69-ग की प्राप्त शक्तियों में से अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (क) (दो), (ख) (एक), (ग) (दो) एवं (69-क) की उपधारा (1) को छोड़कर निम्नांकित शक्तियों को प्रयुक्त किये जाने हेतु, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को एतद्द्वारा प्रत्यायोजित किया जाता है.

धारा 69—

(क) (एक) प्राधिकारी द्वारा निर्धारित योजना अंतर्गत भूमि स्वामी के साथ क्रय का अथवा अन्यथा का विधि अनुसार अनुबंध किये जाने का अधिकार.

(ख) (दो) नवा रायपुर अटल नगर क्षेत्र अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा नगर विकास योजनाओं हेतु नियोजन, तैयारी और क्रियान्वयन के उद्देश्य से अधिनियम के अंतर्गत नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी की शक्तियों के प्रयोग का अधिकार.

(ग) (एक) प्राधिकारी की स्वीकृति पश्चात् संविदाओं के निष्पादन का अधिकार.

(तीन) प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रीति और प्रक्रिया के अंतर्गत संविदा किये जाने का अधिकार.

(चार) प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजनाओं/मामलों हेतु तकनीकी, वित्तीय या अन्य मामलों में सहायता के लिये सलाहकार या सलाहकार संस्था की सेवाओं के लिए निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमानुसार नियुक्ति किये जाने का अधिकार.

(पांच) प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित सुविधाओं से संबंधित अधोसंरचना की परियोजनाओं का किसी कम्पनी, संस्था, सोसायटी, न्यास, कोई शासकीय या निजी एजेन्सी की सहायता लेने एवं सहायता से क्रियान्वयन का अधिकार.

(छः) प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित विकास, क्रियान्वयन, रख रखाव, सेवाओं या इनके संयोजन के लिए, क्षमतानुरूप निजी भागीदारी का अनुबंध किये जाने का अधिकार.

(घ) किसी भी प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा किया गया विकास, जो कि अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत बनाये गये नियमों के उल्लंघन में किया गया हो, को गिराने, तोड़ने, हटाने या अन्य कोई समुचित कार्यवाही करने का अधिकार.

(ङ) अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकारी के पास नियमों में यथा विहित रीति एवं दरों के अनुसार निम्नलिखित एक या एक से अधिक ग्राहक प्रभार, प्रभार शुल्क, प्रीमियम, टोल और ड्यूटी लेने का अधिकार जैसे :—

(एक) सामान्य सुविधायें उपयोगकर्ता प्रभार,

(दो) आंतरिक और/या बाह्य विकास पूर्ण करने के लिए प्रभार,

(तीन) जलापूर्ति, मल-जल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सूचना एवं संचार तकनीक (आई.सी.टी.) आधारित परियोजना/परियोजनाओं के उपयोग हेतु प्रभार,

(चार) अन्य कोई उपयोगकर्ता प्रभार, जो कि राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए.

69—क. **उपभोक्ता प्रभाग के संग्रहण के लिए शक्ति और प्रक्रिया—**

(2) प्राधिकारी को देय कोई उपयोगकर्ता प्रभार, जो विनियम में विर्निदिष्ट समयावधि के अंदर नहीं चुकाया गया है, की वसूली छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्र. 20 सन् 1959) के प्रावधानों के अंतर्गत भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल किये जाने का अधिकार.

69—ख. **अनधिकृत प्रवेश आदि एवं अपराध के विषय की शक्ति—**

(1) विशेष क्षेत्र के अन्तर्गत अनधिकृत प्रवेश, विकास या भू-उपयोग के मामले में अधिनियम के अन्तर्गत संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करने का अधिकार.

(2) जो कोई—

(क) किसी व्यक्ति, जिसके साथ प्राधिकारी ने संविदा किया हो, को उसके कर्तव्यों के निष्पादन, से रोकता है; या अन्य कृत्य जिसकी इस अधिनियम के अन्तर्गत शक्ति रखता हो या किये जाने की आवश्यकता हो; या

(ख) इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्य के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक किसी स्तर या दिशा को चिन्हित करने के उद्देश्य से बनाये गये किसी चिन्ह को हटाता है, को साधारण कारावास जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो रुपये पचास हजार तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डित करने का अधिकार.

(3) जो कोई किसी अधोसंरचना, जैसे कि खड़ी दीवार, पैरापेट, रेलिंग, सिवरेज, लाईन, जलापूर्ति लाईन, जल निकासी, विद्युत लाईन, पौधों, गली या फर्नीचर, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम आदि को, हानि पहुंचाता है, वह सेवा शुल्क के तौर पर मरम्मत लागत के 100 प्रतिशत के साथ मरम्मत लागत का भुगतान करने हेतु दायी होगा, जिसके नहीं किये जाने पर उसे तीन माह की अनधिक अवधि तक के कारावास से दण्डित किए जाने का अधिकार.

(4) जो कोई इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत निर्मित कोई नियम या विनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है, यदि इस अधिनियम में अन्यत्र कोई जुर्माना नहीं दिया गया है, तो उसे तीन माह की अवधि तक या रुपये पांच हजार के जुर्माने तक या दोनों से दण्डित किए जाने का अधिकार.

(5) कोई व्यक्ति, जो उपरोक्त उपधारा के अन्तर्गत अपराध करने के पश्चात् समान अपराध को करना जारी रखता है, को प्रथम अपराध के होने के पश्चात् ऐसे अपराध जारी रहने की अवधि के दौरान प्रत्येक दिन के लिये रुपये एक हजार तक के जुर्माने से दण्डित किए जाने का अधिकार.

(6) जहां कोई अपराध इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी कम्पनी द्वारा किया जाता है, और यह सिद्ध हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निर्देशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या उपेक्षा या उनसे संबंधित किसी अवहेलना से हुआ है, ऐसे संचालक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी, अपराध के दोषी समझे जायेंगे, और उस प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, अधिकतम रुपये बीस हजार प्रतिदिन के जुर्माने से, दण्डित किए जाने का अधिकार.

69—ग. **अपराधों का प्रशमन—**

(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय कोई अपराध (चार्जशीट दायर करने के पूर्व) या अभियोजन प्रारंभ होने के पश्चात् न्यायालय की अनुमति से प्राधिकारी द्वारा, ऐसे समझौता शुल्क जो अधिसूचित किया जाये, के भुगतान पर समझौता किये जाने का अधिकार.

(2) जहां उप-धारा (1) के अंतर्गत किसी अपराध के सम्बन्ध में समझौता होने पर अपराधी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं किये जाने तथा हिरासत से छोड़ने का अधिकार.

यह अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी.

No. 4066.—In exercise to the powers conferred under section 64; sub-section (1) and (2) of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973); the State Government of Chhattisgarh constituted the Capital Area Development Authority named as Naya Raipur Development Authority vide notification dated 7th July 2006. Same was renamed on 14th June 2019 and is presently known as Nava Raipur Atal Nagar Vikas Pradhikaran.

2. In exercise to the powers conferred under section 65 sub-section A (2) of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), the Board of Directors of Nava Raipur Atal Nagar Vikas Pradhikaran has passed a resolution vide Agenda no 18 of 67th Board of Directors meeting dated 13-09-2021 that; out of the powers conferred to the Authority under section 69, 69-A, 60-B and 69-C of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973; except the powers under Section 69 sub-section (a) (ii), (b) (i), (c) (ii) and section (69-a) sub-section (i), following powers are hereby delegated to the Chief Executive Officer Nava Raipur Atal Nagar Vikas Pradhikaran.

Section 69—

(a) (i) For the purpose of this Act, right to enter into an agreement of purchase or otherwise with the owner of the land, situated within the special area for development of such land in the manner as may be prescribed by rules;

(b) (ii) For the purpose of planning, preparation and implementation of town development scheme within special area, right to exercise the powers which the Town and Country Planning Development Authority has under this Act.

(c) (i) Contracts by or on behalf of the Authority shall be made by the Chief Executive officer, after taking the sanction from Authority.

(iii) The manner and procedure for giving contract, shall be such as may be Prescribed.

(iv) The Right to take assistance in technical, financial or other matters, may engage the services of a qualified individual consultant or consultancy firm and the procedure for the appointment of such consultant shall be subject to rules made in this behalf.

(v) Right to take assistance of a company, firm, society, trust or any other agency or any Government that is established under any existing rules, to execute any type of project relating to urban infrastructure related with facilities. Can also execute works with the help of such private agency.

(vi) Right for Private sector participation agreements for development, operation, maintenance, providing service or any combination thereof shall be such as may be prescribed.

(d) The right for have power to pull down, demolish, remove, or take such appropriate action against any development undertaken by any Authority or person in contravention to rules made under Section 24 of this Act.

(e) Notwithstanding anything contained in this Act or any law for time being in force, the Authority shall have power to levy one or more of the following user charges, fees, premium, toll and duty in the manner and at such rates as may be prescribed by rules, namely :—

(i) General Amenities User Charges;

(ii) Charges for completion of internal and/or external developmental works;

(iii) Water Supply, Sewerage, Solid Waste Management, charges for use of Information Communication Technology (ICT) based project/projects;

(iv) Any other user charge which the State Government may notify from time to time

69—A. Power and procedure for collection of consumer division—

(2) The right for; any user charges due, but not paid to the Authority wihtin the time specified in the regulation shall be recovered as dues recoverable as an arrear of land revenue under the provisions of Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

69—B. Power of subject of unauthorized entry etc. and offence—

(1) In the matter of unauthorized entry, development or use of Land within special area, shall exercise the powers which the Director, Town and Country Planning has, under this Act.

(2) (a) Obstructs any person, with whom the Authority has entered into a contract, in the performance of his duty or of anything which is empowered or required to do under this Act; or

(b) Removes any marks set-up for the purpose of indicating any level or direction necessary to the execution of the work authorized under this Act, shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to fifty thousand rupees, or with both.

(3) Whoever damages any infrastructure such as retaining wall, parapet, railing, sewerage line, water supply line, drainage, electric line, plants, street or furniture, information Communication Technology (ICT) system etc. then he shall be liable to pay the cost of the repair along with 100% of the cost of repair as service charges failing which he shall be punished with imprisonment for a term not exceeding three months.

(4) Whosoever contravenes any of the provisions of this Act or of any rule or regulation made there under shall, if no other penalty is elsewhere provided in this Act for such contravention, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three Months or with fine which may extend to five thousand rupees or with both.

(5) Any person who after having been convicted of the offence under the above sub-section, carrying on or continues to commit the same offence shall be punished with a fine not exceeding one thousand rupees per day, for every day during which such offence continues, after the conviction for the first offence.

(6) Where any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to, any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be punished with a fine not exceeding Twenty Thousand rupees per day, for every day during which such offence continues.

69—C. Compounding of offenses —

(1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Prodedure, 1973 (2 of 1974), any offence punishable under this Act may either before the institution of prosecution (before filing of charge-sheet) or with the permission of the Court after the institution of the prosecution, be compounded on payment to the Authority such compounding fees as may be notified.

(2) Where an offence is compounded under sub-section (1), no proceeding or further proceeding, as the case may be, shall be taken against the offender in respect of the offence so compounded and the offender, if in custody, shall be released forthwith.

अध्यक्ष, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के नाम से तथा आदेशानुसार,

डा. अय्याज एफ. ताम्बोली,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 26th April 2022

No. 851/Confdl./2022/II-2-1/2022.—Registry Order No. 839/Confdl./2022/II-2-1/2022 dated 20-04-2022 is modified to the extent that (i) Shri Deepak Kumar Deshlhre, III additional District and Sessions Judge, Baloda-Bazar stands transferred and posted as II Additional District and Sessions Judge, Dantewara instead of Additional District and Sessions Judge, FTSC (POCSO), Bhatapara and (ii) Smt. Jyoti Agrawal, Deputy Secretary, Chhattisgarh Human Rights Commission, Raipur stand transferred and posted as Additional District and Sessions Judge (FTC), Korba instead of II Additional District and Sessions Judge, Saraipali.

Bilaspur, the 26th April 2022

No. 852/Confdl./2022/II-2-1/2022.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Smt. Kiran Tripathi, IV Additional District and Sessions Judge, Baloda-Bazar at Bhatapara.	Bhatapara	Bhatapara	Baloda-Bazar	Additional District and Sessions Judge, FTSC (POCSO).
2.	Shri Ganesh Ram Patel, IV Additional District and Sessions Judge.	Bilaspur	Raipur	Raipur	Additional District and Sessions Judge, II FTSC (POCSO).

Bilaspur, the 26th April 2022

No. 854/Confdl./2022/II-2-1/2022/I-8-2/2010 (Pt.III).—The incumbent Judicial Officer of the Court, as specified in Column No. (2) of the table below, is, hereby, assigned additional charge of the Court as mentioned in Column No. (3), as and when this Court falls vacant, until further orders :—

TABLE

S. No. (1)	Name of the Court (2)	Additional Charge (3)
1.	III Additional District and Sessions Judge, Jagdalpur.	Labour Judge, Labour Court, Jagdalpur

Bilaspur, the 26th April 2022

No. 856/Confdl./2022/II-3-1/2022.—Column No. 6 of Serial No. 38 of the Registry Order No. 805/Confdl./ 2022/II-3-1/2022 dated 13-04-2022 be read as 'I Civil Judge Class-I' instead of "Civil Judge Class-".

Bilaspur, the 26th April 2022

No. 858/Confdl./2022/II-2-1/2022.—In Order No. 839/Confdl./2022/II-2-1/2022 dated 20-04-2022 :—

1. In Sl. No. 19 of the Endorsement no. 840/Confdl./2022/II-2-1/2022 dated 20-04-2022 the direction regarding vacating the Government accommodation appearing as "they should vacate the same within 15 days of receipt of this order" shall be read as "they should vacate the same on or before 07-05-2022" and:

2. The Judicial Officers appearing at Sl. No. 18(1), 18(3), 18(4), 18(6), 18(21), 18(24), 18(25), 18(26), 18(28), 18(32) and 18(39) of the Endorsement no. 840/Confdl./2022/II-2-1/2022 dated 20-04-2022, are directed that if they are in occupation of the Government accommodation. they should vacate the same on or before 07-05-2022 under intimation to this registry.

Bilaspur, the 27th April 2022

No. 863/Confdl./2022/II-2-1/2022.—Registry Order No. 852/Confdl./2022/II-2-1/2022 dated 26-04-2022 is modified to the extent that shri Ganesh Ram Patel, IV Additional District and Sessions Judge, Bilaspur stands transferred and posted as Additional District and Sessions Judge (F.T.C.), Durg instead of Additional District and Sessions Judge, II FTSC (POCSO), Raipur.

By order of the High Court,
SANJAY KUMAR JAISWAL, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2022

क्रमांक 101/दो-2-17/2019.—कु. सरोज नंद दास, न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सूरजपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 01-04-2022 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

आदेशानुसार,

आर. पी. देवांगन,
बजट धिकारी.